उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
वेबसाईट www.usvv.ac.in

पत्रांक :553/शिक्षक-नियुक्ति/प्रशासन/2026 दिनांक 14.07.2026

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/विषयों में योग्य अभ्यर्थियों से सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्तियों हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.usvv.ac.in पर उपलब्ध हैं। आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.08.2026 है।

कुलसचिव

14.7.26
कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।
Registrar
Uttarakhand Sanskrit University,
Haridwar,

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग,
HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0–बहादराबाद (हरिद्वार) 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
Website : www.usvv. ac.in

विज्ञापन संख्या–03/2026 दिनांक 14 जुलाई,2026

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के द्वारा सहायक आचार्य के पदों हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदनपत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा पूर्णतः भरे गये आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बी0एच0ई0एल0 मोड़, पो0ओ0 बहादराबाद–249402, हरिद्वार के पते पर केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2026 सांय 5:00 बजे तक प्राप्त होने चाहिए।

उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन पर कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पदनाम तथा विषय जिसके लिये आवेदन किया गया हो, का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये।

आवेदन शुल्क :–

1. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS हेतु आवेदन शुल्क रूपये 1000/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रूपये 750/– है।
2. आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "वित्त नियंत्रक" उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के नाम पर देय होगा।
3. बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट के आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रेषित की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जायेगी।

<u>रिक्तियों की संख्या</u> :- पदवार एवं विषयवार रिक्तियों की संख्या निम्नवत् है। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है :-

1. सहायक आचार्य :-15 पद, आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है :-

सहायक आचार्य									
क्र. सं.	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0 जाति	अनु0 जन0 जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रुप से कमजोर	अनारक्षित
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र	फलित ज्योतिष	2	1	0	0	0	1 (उ.महिला)
			वास्तुशास्त्र	1	1	0	0	0	0
		2. व्याकरण	नव्य व्याकरण	2	0	1	1 (उ. महिला)	0	0
		3. शुक्लयजुर्वेद	शुक्लयजुर्वेद *	1*	0	0	0	0	1*
2	दर्शन संकाय	अद्वैत वेदान्त (शांकर वेदान्त)	अद्वैत वेदान्त (शांकर वेदान्त)	1	0	0	0	0	1 (उ.महिला)
3	आधुनिक ज्ञान विज्ञान	भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान	हिन्दी *	1*	0	0	0	0	1*
			नेपाली भाषा	1	1 (उ. महिला)	0	0	0	0
			भाषा विज्ञान	1	0	0	0	1	0
		योग विज्ञान	योग	2	1	0	1	0	0
		शिक्षाशास्त्र	शिक्षाशास्त्री बी0एड0	2	1*	0	0	0	1** (उ.महिला)
		पत्रकारिता	पत्रकारिता	1	0	0	0	0	1 (उ.महिला)
	कुल योग :-			15	5	1	2	1	6

* शुक्लयजुर्वेद विषय में 01 पद, अनारक्षित, धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष विज्ञापित है।

* हिन्दी विषय में 01 पद, अनारक्षित, धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष विज्ञापित है।

* शिक्षाशास्त्री बी0एड0-*ललित कलाओं, **शारीरिक शिक्षा हेतु विज्ञापित है।

अभ्यर्थियों के लिए आवेदनपत्र भरने संबंधी अति महत्त्वपूर्ण निर्देश :-

1. विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 व 2023 के अनुरूप तथा इस क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नवीनतम मानकों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदनपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों। पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यू0जी0सी0 की वेबसाइट www.ugc.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
3. शिक्षाशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य शारीरिक शिक्षा के पद हेतु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यता एवं बी.पी.एड.(55% अंक), एम.पी.एड.(55% अंक) तथा वांछनीय योग्यता में संस्कृत में आचार्य तथा योग में डिप्लोमा/एम.ए. योगाचार्य धारी अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
4. अभ्यर्थी की योग्यता उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगी।
5. उक्त पदों के संदर्भ जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है, यदि वे इच्छुक है, तो पुनः आवेदन कर सकते हैं। पूर्व के आवेदनपत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. एक से अधिक पदों के लिए आवेदनपत्र भेजने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनपत्र तथा डिमांड ड्राफ्ट समस्त संलग्नकों आदि के साथ पृथक्-पृथक् भेजना होगा। किसी भी परिस्थिति में एक से अधिक आवेदनपत्र एक लिफाफे में न भेजे। आवेदनपत्र के साथ सभी आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेज मजबूती के साथ संलग्न करके प्रेषित करें अन्यथा संलग्नकों के अभाव में आवेदनपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
7. जो आवेदक पूर्व से ही सरकारी सेवा में हैं, वे अपने आवेदन उचित-माध्यम/अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ भेजें, तथापि आवेदनपत्र की अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकते हैं।
8. आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनपत्र तथा अपूर्ण आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में उन पर पुनर्विचार नहीं किया जायेगा।

9. सभी शैक्षणिक पदों हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख समकक्ष स्तर की परीक्षायें द्वितीय श्रेणी (न्यूनतम 45% अंक) स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50% प्राप्तांक तथा मास्टर डिग्री में यू0जी0सी0 के द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण की हो। सहायक आचार्य हेतु नेट/स्लेट/सेट अनिवार्य अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पी-एच.डी. यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार की है, उनको नेट/स्लेट/सेट की उक्त पात्रता से छूट होगी।
10. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी, जाँच समिति/स्क्रूटनी द्वारा की जाएगी तथा पदों के सापेक्ष (जितनी संख्या विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित होगी) अल्पसूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
11. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र/प्रकाशन आदि मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे।
13. प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिए।
14. ए0पी0आई0 स्कोर की गणना यू0जी0सी0 के नियमानुसार की जायेगी।
15. अन्य प्रलेख यदि आप उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा उत्तराखण्ड महिला या अन्य किसी वर्ग के आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए पुनरीक्षित एवं अन्तिम नवीनतम प्रपत्र पर जिस जिले के आप निवासी हो वहाँ के जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधीश/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आपका दावा मान्य होगा।
16. क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के नवीन शासनादेशों के अनुसार लागू होगा।
17. आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
18. राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। अतः महिलाओं के आरक्षित पदों पर समान श्रेणी के पुरुष/महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं।

19. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होगें जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी हो।

20. इस तथ्य की पुष्टि होने पर कि किसी अभ्यर्थी ने प्रतिरूपण (Impersonation) किया है या जानबूझ कर एक या अधिक जाली प्रलेख प्रस्तुत किए है अथवा ऐसे प्रलेख दिए है, जिनमें काट पीट कर परिवर्तन किया गया है या जानबूझकर गलत या असत्य विवरण दिया है अथवा महत्त्वपूर्ण सूचना छिपा ली है या किसी स्तर पर अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह अभ्यर्थी अपात्र ठहराया जायेगा और उसके ऊपर अभियोग चलाने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अधीन :-

- विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किए जाने वाले किसी पद हेतु आवेदन करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।
- नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है और यदि नियुक्ति हो गई हो तो पदच्युत (Dismiss) किया जा सकता है।

21. यदि अभ्यर्थी को स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल., पीएच.डी. इत्यादि उपाधियों में उसके द्वारा प्राप्त उच्चतम उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय से प्रदान नहीं की गई है अथवा उसकी उपाधि के समतुल्य नहीं मानी गई है, ऐसी स्थिति में वह उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा साधारणतया मान्य नहीं होगी। उसकी मान्यता पर विश्वविद्यालय द्वारा तभी विचार किया जा सकेगा जबकि अभ्यर्थी संबंधित तथ्य विश्वविद्यालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।

22. बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में किन्हीं पदों के संबंध में नियुक्ति हेतु संस्तुति न करने अथवा विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के अधीन है।

23. चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग टेस्ट/प्रस्तुतीकरण/साक्षात्कार/शिक्षण प्रस्तुतीकरण आदि को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।

24. अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन से संदर्भित अद्यतन सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे, पृथक् से किसी अभ्यर्थी को सूचना डाक के माध्यम से प्रेषित नहीं की जायेगी।

25. धारणाधिकार (Lien) के सापेक्ष भरे जाने वाले पदों पर यदि धारणाधिकार (Lien) वाले शिक्षक वापस मूल पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उन पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों की सेवायें तत्काल प्रभाव से स्वतः समाप्त हो जायेंगी तथा उनका कोई दावा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

26. आवेदनपत्र पर किसी भी प्रकार का प्रतिरूपण होने अथवा अस्पष्ट/भ्रमात्मक जानकारी दिये जाने पर उक्त आवेदनपत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा।

27. चयन समिति की संस्तुति के बाद उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धित आवेदक के पते को पुलिस सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों की जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

28. किसी भी आवेदक के पात्र न पाए जाने पर विश्वविद्यालय सम्बन्धित पद/पदों को रिक्त रख सकता है।

29. विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी शर्तों/नियमों में किसी भी स्तर पर बदलाव करने में सक्षम है।

30. आवेदक की संस्कृत विश्वविद्यालय की परम्पराओं/मूल्यों में आस्था होना आवश्यक है।

31. यदि आवेदक ने ऐसे विश्वविद्यालय से एम.फिल./शोध उपाधि प्राप्त की है, जिसकी डिग्री में शोध शीर्षक एवं विषय अंकित नहीं होता है तो ऐसे आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से शीर्षक एवं विषय के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

32. आवेदन मूल रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसकी छायाप्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

33. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने या कराने पर अभ्यर्थी अविलम्ब अपात्र ठहराया जायेगा।

34. आवेदनपत्र के बाद अलग से प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्रों/अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

35. समस्त संलग्न प्रमाणपत्रों/अभिलेखों को क्रमांक प्रदान करें तथा अंतिम संलग्नक पर क्रमांक सहित आवेदनपत्र के साथ कुल संलग्नकों की संख्या को अवश्य लिखें।

36. प्रत्येक अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए एवं उसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिप्रेत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए चिकित्साधिकारी को संतुष्ट करने के लिए तत्पर रहना होगा। ऐसा न करने पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है।

कुलसचिव 14.7.24

कुलसचिव
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।
Registrar
Uttarakhand Sanskrit University,
Haridwar,